**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 05.04.2026**

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

- **थाना गिरवां पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर भैस चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

**विवरण**- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 05.04.2026 को थाना गिरवां पुलिस द्वारा भैस चोरी करने वाले अभियुक्त को 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि ग्राम जरर के रहने वाले बच्चू यादव द्वारा थाना गिरवां पर दिनांक 04.04.2026 को प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 31/01.04.2026 की देर रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा भैस चोरी कर ली गई है। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया और त्वरित रुप से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को छिवांव मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

**बरामदगी-**

- 01 अवैध तमंचा 12 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. नवलकिशोर उर्फ पंजाबी पुत्र लालमन उर्फ कडाके निवासी तिन्दुही थाना गिरवां जनपद बांदा

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0- 106/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 107/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0- 76/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 125/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना गिरवां जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 106/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 107/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 श्री गौरव कुमार मिश्र
2. हे0कां0 गोकुलेश